15/12/17 आज SDO साहब-चुनाव कार्य से बाड़मेर पधारे हुये है इसलिए लेकर पत्रावली दिनांक 8/1/18 को पेश हो

08/01/18 दोनो पक्षो के वकील उपस्थित।

पत्रावली का अवलोकन किया गया माननीय अपील अधिकारी बाड़मेर के राजस्व अपील [illegible] 223/रा.क.अधि./16/2016/ बाड़मेर के निर्णय 15.03.2017 के द्वारा अपीलाधीन आदेश 18.03.2015 को अपास्त करते हुये मूलवाद 258/2010 के साथ करते हुये निस्तारण करने के आदेश दिये है। अत: पत्रावली 8/2014 मूलवाद 258/2010 के साथ निस्तारण हेतु नत्थी की

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) सिवाना

न्यायालय सहायक कलक्टर (S.D.O), सिवाना

पीठासीन अधिकारी **श्रीमती गोमती शर्मा** आर.ए.एस

प्रकरण संख्या 08 / 14

वादीगण

1. लसुदेवी पुत्री श्री वागारामजी जाति चौधरी
2. सुखादेवी पुत्री श्री वागारामजी जाति चौधरी निवासी समदडी तहसील समदडी जिला बाड़मेर

बनाम

प्रतिवादीगण

1. केसीदेवी बेवा वागारामजी जाति चौधरी जाति
2. वरींगाराम पुत्र वागारामजी जाति चौधरी
3. उदाराम पुत्र वागारामजी जाति चौधरी
4. राजस्थान राज्य जरिये प्रतिनिधि भूमि धारक तहसीलदार समदडी

वाद बाबत अधिकारों की घोषणा, बंटवाडा व व्यायादेश

उपस्थित :-

1. श्री उम्मेदसिंह चंपावत अधिवक्ता वादीगण

-:: निर्णय ::-

दिनांक :- 18·03·15

वादीगण ने यह दावा मौजा समदडी के खेत खसरा नम्बर 67 रकबा 123 बीघा 9 विस्वा में उनका 1/5 – 1/5 हिस्सा घोषित करने, प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी करने एवं बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड विभाजन करने हेतु प्रस्तुत किया है।

वाद के मुख्य तथ्य इस प्रकार हैं कि विवादित आराजी वादीगण की पुस्तैनी हक हिस्सा व स्वत्व की भूमि है जिस पर वादीगण का भी प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के साथ कब्जा काश्त एवं निवास है। प्रतिवादी संख्या 01 स्वर्गीय वागारामजी की पत्नि है। प्रतिवादी संख्या 02 व 03 स्वर्गीय वागारामजी के पुत्र हैं। तथा दोनों वादीगण स्वर्गीय वागारामजी की पुत्रीयां हैं। वागाराम का देहान्त दिनांक 21.04.2012 को हो चुका है। जिससे वादीनीयों का वादग्रस्त आराजी में हक हिस्सा व स्वत्व स्वतः ही पैदा हो चुका है। किन्तु प्रतिवादी संख्या 01 ता 03 ने उक्त भूमि में हिस्सा देने से साफ मना कर दिया। जिससे यह वाद पेश करना आवश्यक हुआ है। प्रतिवादीगण जरिये फौतगी नामान्तरणकरण के उक्त वादग्रस्त भूमि

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) सिवाना

में वादीनीयों का हक हिस्सा बतौर खातेदार अभिलेख में अंकित नहीं होने दे रहे हैं। एवं बेदखल करने की धमकियां दे रहे हैं। जिससे अधिकारों की घोषणा स्थाई निषेधाज्ञा तथा बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स बंटवाडा करने हेतु यह वाद प्रस्तुत है।

वाद पत्र दिनांक 11.02.2014 को दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी गण के विरूद्ध सम्मन जारी किये गये । प्रतिवादी संख्या 01 व 04 नोटिस तामील होने के उपरान्त भी अनुपस्थित रहने पर एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश दिनांक 19.02.2014 को दिये गये। प्रतिवादी संख्या 02 व 03 की ओर से दिनांक 30.05.2014 को इकवाली जबाब प्रस्तुत किया। जिसमें वाद के तथ्यों को समर्थन करते हुए वाद अनुसार खातेदारी घोषित करने तथा वाद पत्र अनुसार इस्तदुआ स्वीकार करने में कोई एतराज नहीं होना व्यक्त किया है।

वादीगण ने वाद के समर्थन में सम्वत् 2068 से 2071 तक की जमाबन्दी की सत्य प्रतिलिपि प्रस्तुत की। जिसमें विवादित आराजी खसरा नम्बर 67 रकबा 123 बीघा 9 बिस्वा भूमि का खातेदार वागाराम पुत्र डूंगरराम अभिलेख में दर्ज है। मृत्यु प्रमाण पत्र कमांक 479 दिनांक 04.07.2014 प्रस्तुत किया गया है। जिसके अनुसार वागाराम का देहान्त दिनांक 21.04.2012 को होना जाहिर होता है। वादीगण ने वादीनी लसूदेवी, साक्षीगण भगाराम, मदन, प्रतिवादी वरींगाराम के शपथ पत्र प्रस्तुत कर उनके बयान भी लिपिवद्ध करवाये हैं। इन सभी गवाहान ने वाद पत्र के तथ्यों का समर्थन किया है।

हमने प्रस्तुत अभिलेख का अवलोकन किया एव वादीगण के विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी ।

प्रस्तुत जमाबन्दी के अवलोकन पर स्पष्ट है कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 67 रकबा 123 वीघा 9 विस्वा मौजा समदडी का खातेदार वागाराम अभिलेख में दर्ज है। वागाराम का देहान्त दिनांक 21.04.2012 को होजाना प्रस्तुत मृत्यु प्रमाण पत्र से स्पष्ट होता है। खातेदार की मृत्यु हो जाने के पश्चात धारा 40 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के अनुसार उसके उत्तराधिकारीगण के नाम अभिलेख में दर्ज किये जाने अपेक्षित हैं। वादीगण संख्या 01 व 02 मृतक वागाराम की पुत्रियां हैं। तथा प्रतिवादी संख्या 01 वागाराम की पत्नी है। प्रतिवादी संख्या 02 व 03 मृतक वागाराम के पुत्र हैं। जिससे यह मृतक खातेदार के प्रथम वर्ग के उत्तराधिकारी होने से इनके नाम अभिलेख में दर्ज करना विधिसम्मत है। प्रतिवादी संख्या 02 व 03 ने वाद के तथ्यों का

(S.D.O.)

समर्थन किया है । एवं प्रस्तुत साक्ष्य से भी वाद के तथ्यों की पुष्टि होती है। जिससे वादीगण का वाद स्वीकार योग्य है।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर दावा वादी डिक्री किया जाकर मौजा समदडी के खेत खसरा नम्बर 67 रकबा 123 बीघा 9 विस्वा भूमि में वादीगण लसूदेवी, सुखादेवी प्रतिवादी केशीदेवी, वरींगाराम, उदाराम का प्रत्येक को 1/5 – 1/5 हिस्से का खातेदार घोषित किया जाता है। अभिलेख में इसी प्रकार अमदरामद किया जावे । इसी हिस्से अनुसार बाई मिट्स एण्ड वाउण्डस बंटवाडा करने हेतु प्राथमिक डिक्री जारी होकर तहसीलदार समदडी से विभाजन प्रस्ताव मांगे जावें। विभाजन उपरान्त प्रतिवादी संख्या 01 से 03 वादीगण के कब्जे काश्त में किसी प्रकार हस्तक्षेप नहीं करे। इस हेतु स्थाई निषेधाज्ञा भी जारी की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 18/03/15 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

सहायक कलेक्टर (S.D.O.) सिवाना

(गोमती शर्मा)
सहायक कलक्टर
(S.D.O) सिवाना

प्राथमिक डिगरी व मुकददमे इब्तदाई

(ओ. 20 रू. 6–7 जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'D'-1)

त अदालत सहायक कलक्टर (S.D.O.) मुकाम सिवाना (बाड़मेर)

इजलास श्रीमती गोमती शर्मा आर.ए.एस.

दीगण

1. लसुदेवी पुत्री श्री वागारामजी जाति चौधरी
2. सुखादेवी पुत्री श्री वागारामजी जाति चौधरी निवासी समदडी तहसील समदडी जिला बाड़मेर

बनाम

तिवादीगण

1. केसीदेवी बेवा वागारामजी जाति चौधरी जाति
2. वरींगाराम पुत्र वागारामजी जाति चौधरी
3. उदाराम पुत्र वागारामजी जाति चौधरी
4. राजस्थान राज्य जरिये प्रतिनिधि भूमि धारक तहसीलदार समदडी

वाद बाबत अधिकारों की घोषणा, बंटवाडा व व्यायादेश

राजस्व मूल वाद संख्या 08 / 2014

निर्णय दिनांक : 18.03.2015

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू वादी व हाजरी उम्मेदसिंह अधिवक्ता मिनजानिब मुद्दई व प्रतिवादीगण लाधाराम परमार अधिवक्ता मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुकम दिया जाता है व डिगरी दी दावा वादी डिक्री किया जाकर मौजा समदडी के खेत खसरा नम्बर 67 रकबा 123 बीघा 9 विस्वा भूमि में वादीगण लसूदेवी, सुखादेवी प्रतिवादी केशीदेवी, वरींगाराम, उदाराम का प्रत्येक को 1/5 – 1/5 हिस्से का खातेदार घोषित किया जाता है। अभिलेख में इसी प्रकार अमदरामद किया जावे । इसी हिस्से अनुसार बाई मिट्स एण्ड वाउण्डस बंटवाडा किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। मौके का विभाजन तहसीलदार समदडी पेश करे। खर्चा फरिकेन अपना अपना वहन करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 18/03/15 को जारी की गई।

मुहर

दस्तखत

ओहदा

क्रमांक: वाचक / 2015 / 1781

दिनांक : 18/03/15

प्रतिलिपि : वास्ते पालनार्थ।

1. भूमिधारक तहसीलदार, समदडी।

सहायक कलक्टर

(S.D.O.) सिवाना